रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, दिसम्बर 17—दिसम्बर 23, 2017, शनिवार/अग्रहायण 26—पौष 2, 1939
No. 42] NEW DELHI, DECEMBER 17—DECEMBER 23, 2017, SATURDAY/AGRAHAYANA 26— PAUSA 2, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 100.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (लेखा सहायक) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन में लेखा सहायक (ज्येष्ठ श्रेणी) और लेखा सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (लेखा सहायक), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2017

का. नि. आ. 101.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय, वेलिंगटन, संयुक्त निदेशक (समन्वय) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय, वेलिंगटन, संयुक्त निदेशक (समन्वय) (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन), नियम 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय, वेलिंगटन, संयुक्त निदेशक (समन्वय) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2016 में,-

(अ) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण, और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

(ब) अनुसूची में, :-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 11 (67700-208700 रु.)" ;

(ii) स्तंभ 11 में,-

(अ) "वेतन बैंड-3 के 15600-39100 रु. में 5400 रु का ग्रेड वेतन", "वेतन बैंड-2 के 9300-34800 रु. में 4800 रु. का ग्रेड वेतन", "वेतन बैंड-2 के 9300-34800 रु. में 4600 रु. का ग्रेड वेतन" में शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर क्रमशः "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)", "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)" और "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)" शब्द, अंक, प्रकोष्ठ और अक्षर रखे जाएंगे।

(ब) टिप्पण-1 में, "वेतन बैंड-2 के 9300-34800 रु. में 4600 रु. का ग्रेड वेतन", में शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)" शब्द, अंक, प्रकोष्ठ और अक्षर रखे जाएंगे।

(स) टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 15723/भ नि-सं नि(समन्वय)/7वीं सीपीसी संशोधन/आई डी एस/कार्मिक/517/भ.नि./ र.(नि.)/2017]

दलपत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्यांक का. नि. आ. 44, तारीख 01 सितम्बर, 2016 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 6th November, 2017

S.R.O. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, the Defence Services Staff College, Wellington, Joint Director (Coordination) (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, the Defence Services Staff College, Wellington, Joint Director(Coordination) (Group 'A' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, the Defence Services Staff College, Wellington, Joint Director (Coordination) (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2016 ,-

(a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"**2. Number of posts, classification and level in pay matrix.** —The number of said post, its classification and the Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules." ;

(b) in the schedule ,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

"Level in pay matrix
(4)
Level 11 (Rs. 67700-208700)" ;

(ii) In column (11), -

(A) for the words, figures and letters " the pay band -3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400", "the pay band -2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4800", "the pay band -2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600", the words, figures, brackets and letters "level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix", "level 8(Rs.47600-151100) in the pay matrix" and "level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix" shall respectively be substituted;

(B) in note 1, for the words, figures and letters "the pay band -2 of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600", the words, figures brackets and letters "level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix." shall be substituted :

(C) Note 2 shall be omitted.

[F. No. 15723/RRs-JD(Coord)/7th CPC Amendments/IDS/PERS/517/RR/D(Appts)/2017]

DALPAT SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide notification number S.R.O. 44 dated the 1st September, 2016.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

का.नि.आ. 102.—भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 4, तारीख 8 फरवरी, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, का.नि.आ. सं. 11, तारीख 20 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना में पृष्ठ 47 पर पंक्ति 6 में, "2013" के स्थान पर "2014" पढ़ें।

[फा. सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/आरआर/सी/पी/13/2107/डी(आरएंडडी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण: रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग–II, खंड 4 में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसंबर, 1978 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् का.नि.आ.307, तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का.नि.आ.196, तारीख